

मुकदमों का विवरण

हरेंद्र राय

बनाम

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. (2015 की आपराधिक अपील संख्या 1726) सितंबर 1, 2023

[संजय किशन कौल, अभय एस. ओका और विक्रम नाथ, जे. जे.]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: हत्या के मामले में, प्रतिवादी नं. 2 विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया और प्रत्यर्थी नं. 2 यू/एस. एस. दोषी ठहराए जाने पर। 302 और उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले के एक निर्णय द्वारा 307 भारतीय दंड संहिता सी., अब विचार के लिए मुद्दा प्रतिवादी नं. 2.

सजा/सजा-हत्या-पहले के निर्णय के माध्यम से दोषसिद्धि **([2023] 11 एस. सी. आर. 403)**-तथ्यों पर मौत की सजा उचित नहीं है, और इस तरह आजीवन कारावास के साथ दी गई है-हालांकि, हर्जाने के रूप में भुगतान करने के लिए नहीं दिया गया है-साथ ही, यू/एस. 357-एक सी. आर. पी. सी.-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. 357(ग) और 357 ए-दंड संहिता, 1860-एस. एस. 302 और 307।

अभिनिर्धारित किया : मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि घटना वर्ष 1995 की है, लगभग 28 साल पुरानी है, मौत की सजा देना उचित नहीं होगा और इस तरह प्रतिवादी नं. 2 भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत Rs. 20 लाख के साथ। इसके अलावा, प्रतिवादी नं. 2 भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत 5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 7 साल के सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। दोनों सजाएँ एक साथ चलेंगी। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 में यह प्रावधान है कि जब भी किसी को सजा के रूप में अधिरोपित किया जाता है, तो न्यायालय निर्णय पारित करते समय, पूरी या आंशिक रूप से बरामद की गई राशि को उसकी उप-धारा (1) के खंड (ए) से (डी) के अनुसार लागू करने का आदेश दे सकता है। खंड (क) अभियोजन में किए गए खर्चों को चुकाने का प्रावधान करता है। यह न्यायालय राज्य को ऐसा कोई खर्च देने के लिए इच्छुक नहीं है।

583 584

[2023] 11 एस सी आर।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि राज्य ने वास्तव में मामले पर निष्पक्ष रूप से मुकदमा नहीं चलाया, बल्कि पूरी तरह से अभियुक्त की सहायता की। खंड (बी) और (डी) में भी कोई सी. आर. पी. सी. आवेदन नहीं होगा, हालांकि, खंड (सी) के अंतर्गत प्रतिवादी नं.2, पीड़ित परिवार द्वारा दिए गए मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान के अलावा, दोनों मृतक और घायलों को मुआवजे के रूप में भुगतान किया जाएगा। राज्य के आचरण और पीड़ित परिवार द्वारा सामना किए जाने वाले आघात और उत्पीड़न की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत दिए गए नुकसान के अलावा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-ए के अंतर्गत और मुआवजा दिया जाए। [पैरा 5,6 और 7]

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2015 की आपराधिक अपील संख्या 1726।

2009 के सी. आर. आर. पी. No.1345 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 02.12.2011 से।

रूप:

अभय कुमार, शगुन रुहिल, रजत खत्री, सुश्री कुसुम पांडे, सौरभ मिश्रा, सुश्री नीतू जैन गौतम, सुश्री नीतू जैन, सुश्री अनामिका, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

आर. बसंत, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, देवाशीष भारुका, सुश्री सर्वश्री, शोभित द्विवेदी, सुश्री स्वाति मिश्रा, नीरज शेखर, सनी चौधरी, मनोज कुमार, सुश्री निशी कश्यप, शशि भूषण सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

विक्रम नाथ, जे।

1. प्रत्यर्थी सं. का बरी होना। 2 विचारण न्यायालय और हाई न्यायालय द्वारा दर्ज 18 अगस्त, 2023 के निर्णय को पलट दिया गया था और प्रतिवादी नं.2 भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 307 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था। उसी आदेश द्वारा प्रतिवादी को लेने का निर्देश दिया गया था

1 भारतीय दंड संहिता सी. 585

हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे.] 586

नहीं। 2 उसे हिरासत में लें और सजा पर सुनवाई के लिए आज न्यायालय में पेश करें।

2. 2023 का CrI.M.P.No.169246 प्रत्यर्थी नं.2 प्रार्थना के साथ कि उसे अपनी स्वास्थ्य स्थितियों पर विचार करते हुए वस्तुतः उपस्थित होने की अनुमति दी जाए और वह पहले से ही एक अन्य हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।CrI.M.P. की अनुज्ञात है।उत्तरदाता नं.2 वह वस्तुतः जेल से उपस्थित है और उसका विधिवत प्रतिनिधित्व उसके वकील द्वारा किया जाता है।

3. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और हमारे द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि घटना वर्ष 1995 की है, लगभग 28 साल पुरानी है, मौत की सजा देना उचित नहीं होगा और इस तरह हम प्रतिवादी नं.2 भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत Rs.20 लाख के साथ।इसके अलावा, प्रतिवादी नं.2 भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत 5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 7 साल के सश्रम कारावास की सजा दी जाती है।एफ. आई. एन. ई. के वितरण का संकेत थोड़ी देर बाद दिया जाएगा।दोनों सजाएँ एक साथ चलेंगी।

5. मामले के चौंकाने वाले तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जिन पर विस्तार से विचार किया गया है और 18 अगस्त, 2023 के निर्णय में दर्ज तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त परिमाण का निर्णय दिया गया है।

6. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 2 की धारा 357 में यह प्रावधान है कि जब भी किसी को सजा के रूप में अधिरोपित किया जाता है, तो न्यायालय निर्णय पारित करते समय, पूरी या आंशिक रूप से बरामद की गई राशि को उसकी उप-धारा (1) के खंड (ए) से (डी) के अनुसार लागू करने का आदेश दे सकता है।खंड (क) अभियोजन में किए गए खर्चों को चुकाने का प्रावधान करता है।हम इस तथ्य पर विचार करते हुए राज्य को ऐसा कोई खर्च देने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि राज्य ने वास्तव में मामले पर निष्पक्ष रूप से मुकदमा नहीं चलाया, बल्कि पूरी तरह से अभियुक्त की सहायता की।खंड (बी) और (डी) का भी खंड (सी) के अंतर्गत कोई आवेदन नहीं होगा, हालांकि, आरोपी नं.2, पीड़ित के परिवार, दो मृतक और घायलों द्वारा दिए गए मानसिक, शारीरिक और वित्तीय नुकसान के अलावा, हम निर्देश देते हैं कि दिए गए मुआवजे का भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जाए:

2 सीआरपीसी

/

[2023] 11 एस सी आर।

क) हम दो मृतक राजेंद्र राय और दारोगा राय के विधि ी उत्तराधिकारियों को प्रत्येक को 1 लाख रुपये का हर्जाना देते हैं। विचारण न्यायालय दोनों मृतकों के विधि ी उत्तराधिकारियों के

संबंध में प्रारंभिक जांच कराएगी और उत्तराधिकार के विधि के अनुसार विधि ी उत्तराधिकारियों को राशि वितरित की जाएगी।

ख) इसी तरह, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत दी गई 5 लाख रुपये की राशि उसी तरह से विचारण न्यायालय द्वारा पीड़ित को वितरित की जाएगी यदि वह जीवित है और यदि नहीं, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को। 7. 18 अगस्त, 2023 के निर्णय में राज्य के आचरण और पीड़ित परिवार द्वारा सामना किए जाने वाले आघात और उत्पीड़न की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत दिए गए नुकसान के अलावा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-ए के अंतर्गत और मुआवजा दिया जाए। बिहार राज्य दो मृतक और घायल लोगों के कानूनी उत्तराधिकारियों को, यदि वे जीवित हैं, तो क्षतिपूर्ति करेगा, अन्यथा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को उपरोक्त दी गई राशि की समान राशि में, अर्थात् मृतक राजेंद्र राय और दारोगा राय के कानूनी उत्तराधिकारियों में से प्रत्येक को 1 लाख रुपये और घायल श्रीमती को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। देवी या उनके कानूनी उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो। इस प्रकार जमा की गई राशि को उसी तरीके से वितरित किया जाएगा जैसा कि सीआरपीसी की धारा 357 के अंतर्गत नुकसान के संवितरण के लिए ऊपर दिया गया है।

8. ऊपर दी गई राशि और मुआवजे की राशि आज से दो महीने के भीतर विचारण न्यायालय में जमा की जाएगी, जिसमें विफल रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा भूमि राजस्व के बकाया के रूप में इसकी वसूली की जाएगी। अपील का निपटारा ऊपर की तरह किया जाता है।

9. विचारण न्यायालय द्वारा चार महीने के भीतर इस न्यायालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। अनुपालन रिपोर्ट प्रसारित करने के लिए रजिस्ट्री यदि अनुज्ञात जाती है, और यदि अनुमति दिए गए समय के भीतर अनुमति नहीं दी जाती है, तो मामले को निर्देशों के लिए आधिकारिक सीई रिपोर्ट के साथ सूचीबद्ध किया जा सकता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील का निपटारा किया गया।

/